

राजस्व अधिकारी

// पुलिस मुख्यालय, उत्तीर्णगढ़, रायपुर //

क्रमांक: पु0मु0/अग्राक/शिका. / 2718 / 05 दिनांक 23/12/2005  
प्रति,

पुलिस अधीक्षक,  
जिला-जांजगीर-चांपा,  
छ.गढ़।

विषय :- आवेदक कुमार मुख्येन्द्र बहादुर सिंह, राजमहल जंकरी जिला  
जांजगीर-चांपा के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत।

उपरोक्त विषयांपित आवेदक के बाबत राष्ट्रीय अनुसूचित  
जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली से पत्र द्वारा यह जानकारी  
प्राप्त हुई कि, उपरोक्त आवेदक की शिकायत पत्र की गई कार्यवाही नहीं  
की गई है। आयोग ने प्राप्त पत्र की प्रायाधित संलग्न कर आपकी  
ओर प्रेषित है। प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही कर आयोग  
को सूचित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने  
का कष्ट करें।

लैलग्न:- उपरोक्तानुसार

देतु-पुलिस उप महानिरीक्षक  
अग्राक/पु0मु0/रायपुर

क्रमांक: पु0मु0/अग्राक/शिका. / 2718/ 05 दिनांक 23/12/2005

प्रतिमिपि :- श्री चिपुरारी राय, सहायक सचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित  
जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र.  
उत्तीर्णगढ़/साठी-7/2005/सदौसिटी दि 09.12.05 के  
रोकर्म में कृपया सुचनार्थ प्रेषित।

देतु-पुलिस उप महानिरीक्षक  
अग्राक/पु0मु0/रायपुर

16/(4)/36  
16/36

SMSCR

APC

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)  
क्रमांक/पु.आ./जां.चां./शिका./पु.मु./ १३८ /०५  
प्रति,

दिनांक ३५.१२.२००५

सहायक संचालक  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
भारत सरकार नई दिल्ली -110003


विषय :- आवेदक कुमार पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह राजमहल सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के आवेदन पत्र के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./एस.टी./०७/०५ एक्ट्रोसिटी दिनांक ०९.१२.०५


—००—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के आवेदन पत्र के आवेदक पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह-राजमहल सक्ती के आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। शिकायत पत्र में प्रार्थी इस जिले का है, किन्तु शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) से संबंधित है। जिला छिंदवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लो. न्यास प्रकरण क्र. ३/बी-११३(१) ८८-८९ दिनांक ०७.०६.९७ पारित होना उल्लेखित है। संदर्भित शिकायत पत्र जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) से संबंधित होने पर शिकायत मूलतः वापस कर लेख है कि जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) को प्रेषित किया जाकर उल्लेखित तथ्यों की विधिवत जांच कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूलतः आवेदन पत्र मय मेमो-०३

  
पुलिस अधीक्षक  
जांजगीर-चांपा  
३५/१२/०५

प्रतिलिपि :- १. पुलिस उप महानिरीक्षक (अजाक) पु.मु. रायपुर को उनके पत्र क्र./पु.मु./अजाक/शिका./२७१८/०५ दिनांक २३.१२.०५ के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

  
पुलिस अधीक्षक  
जांजगीर-चांपा

168/पै-35  
१०/०२/२००६

५८८८ (५५४)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा मोप्र०

कागजी/पुलिस/सीज़ी/आयोग/१०/३७९-ए/०६ दिनांक ३१/०१/०६  
पर्ति,

महानीय श्री श्रिपुरारी राव,

राहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

उडी अधिक वी विंग लोक नायक भवन खान गार्डेट

नंद दिल्ली-११०००३ ।

मिस्टर - आमेतक वृंदेन्द्र पुण्येन्द्र बहादुरसिंग राजमहल शक्ति जिला जाचगीर चौपा

उत्तीर्णगढ की विकायत जॉच कर प्रतिवेदन भेजने बाबद ।

मान्दे - आपका पत्र वर्षा०/धर्ती०-०७/०५ दिनांक १८ जनवरी ०६ ।

(५५४)

—००—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत अंकदार वृंदेन्द्र पुण्येन्द्र बहादुरसिंग राजमहल शक्ति जिला जॉचगीर चौपा उत्तीर्णगढ की विकायत जॉच कर प्रतिवेदन भेजने बाबद । इसमें अनावेद प्रशासन द्वारा अत्यधिक अव्याप्त करने का आरोप लगाया गया है । इसकी जॉच अनुविभागीय अधिकारी नियम छिंदवाडा द्वारा कराई गई ।

जॉच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा जिला जॉचन पर प्रशासन द्वारा उल्लंघन पूर्वक च्यायिक प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख किया गया है । इस संबंध में आयालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक च्यास छिंदवाडा द्वारा प्रकरण वर्षा०/धर्ती०-०७(१)/३८-३९ दिनांक ७-६-९७ को पारित निर्णय में वार्ता अध्यक्ष रामेत द्वारा छिंदवाडा का आवेदन पत्र स्वीकार कर लोक च्यास मानते हुये एवं नियम ने आदेश प्राप्ति किये गये हैं । वह च्यायालय द्वारा पारित निर्णय है एवं उसीरात कियाँ द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है । च्यागीय राजकुमारी ज्ञानदा नीं ने उत्तीर्णगढ लोक च्यास में घोल होने का उल्लेख किया गया है इसकी जॉच पुलिस अधीक्षक जबलपुर से कराई जाकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना लिया गया ।

अतः उपरोक्तानुसार जॉच प्रतिवेदन कृपया आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक  
छिंदवाडा ।  
अमा

१०/२/०६  
५८८८ (५५४)